



रक्षा मंत्रालय / Ministry of Defence

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन/Defence Research & Development Organisation

रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोज्यता प्रयोगशाला (डील), देहरादून
Defence Electronics Application Laboratory (DEAL), Dehradun

समय समय पर संशोधित प्रशिक्षु अधिनियम (Apprentices Act), 1961 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोज्यता प्रयोगशाला (डील), देहरादून में 19 (उन्नीस) प्रशिक्षुओं के लिए निम्नलिखित ट्रेडों में उनके सम्मुख उल्लिखित विवरण के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए डिग्री शिक्षुता प्रशिक्षण (Apprenticeship Training)- 2021 हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करते हैं:-

Under the provisions of Apprenticeship Act-1961 amended from time to time Director, Defence Electronics Applications Laboratory (DEAL), Dehradun invites online applications for 19 (Nineteen) Trainees in Degree Apprenticeship Training- 2021 for a period of one year in the following trades:-

डिग्री प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थी
Degree Apprentice Trainees

क्र.सं. S. No.	विषय Discipline	कुल रिक्तियां Total Vacancies	आयु सीमा (01.12.2021को) Age Limit (As on 01-12-2021)	न्यूनतम अर्हता Minimum Qualification	वृत्तिका प्रतिमाह Stipend per month
1	Electronics & Communication Engg	17	न्यूनतम आयु-18 वर्ष Minimum Age- 18 year	बी.टेक./बी.ई. B.Tech./B.E.	रुपये 9000/- Rupees Nine thousand only.
2	Mechanical Engg	01	अधिकतम आयु- Maximum Age - अनारक्षित-27 वर्ष Unreserved -27yrs		
3	Computer Science/ Computer engineering	01	अन्य पिछड़े वर्ग-30वर्ष OBC -30 yrs अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-32वर्ष SC/ST - 32 yrs		
TOTAL		19			

2. उपरोक्त पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवम् आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण भारत सरकार में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

Reservation for SC, ST, OBC & EWS categories on the above posts will be given as per the provisions of Govt. of India.

3. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी उपरोक्त पात्रता रखते हों वे दिनांक 31.12.2021 सायं 1700 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

Only Online applications will be accepted. Candidates fulfilling the eligibility criteria may apply online on upto 31.12.2021, 1700hrs. Applications received after the last date of submission will not be considered.

4. सामान्य निर्देश/General Instructions:

1) विभिन्न विषयों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर, अभ्यर्थियों का चयन अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लघु सूची तैयार कर किया जाएगा।

Depending upon the vacancies available in various disciplines, selection of candidates will be carried out by short listing on the basis of marks obtained in the qualifying exam.

2) अभ्यर्थियों द्वारा पहले NATS Portal पर पंजीकरण पश्चात् अपना पंजीकरण/आवेदन www.mhrdnats.gov.in पर डील के आईडी NUKDDC000015 पर किया जाना अनिवार्य है। कृपया पंजीकरण/आवेदन हेतु संबंधित वेबसाइट को देखें।

It is mandatory for the candidates to register on NATS Portal and then register/apply on apprenticeship portal www.mhrdnats.gov.in at DEAL Id NUKDDC000015. Kindly see respective website for registration/apply.

- 3) डिग्री शिक्षुता प्रशिक्षु के आवेदन हेतु केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो वर्ष 2018/2019/2020 में उत्तीर्ण हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2018 से पूर्व अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की है वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
For Degree apprentice trainees only those candidates who have passed in the year 2018/2019/2020 are eligible to apply. Candidates who have passed the qualifying exam earlier than 2018 are not eligible.
- 4) केवल वे अभ्यर्थी जो नियमित अभ्यर्थी के रूप में अर्हक परीक्षा पूरी कर चुके हैं, वे ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
Those candidates who have completed the qualifying examination as regular candidates are only eligible to apply.
- 5) अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन करते समय सभी विवरण सही से भरें और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें।
Candidates are requested to fill up correct details against all the fields along with uploading of scanned copies of all the mandatory documents.
- 6) अर्हक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक प्रतिशत के रूप में अंकित किए जाए। सी.जी.पी.ए. के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार सी.जी.पी.ए. को प्रतिशत में परिवर्तित करें तथा उक्त दस्तावेजों को सत्यापन के दौरान सत्यापित करवाएं।
The marks obtained in the qualifying exam are to be mentioned in percentage. In case of CGPA, candidates are requested to convert the CGPA into percentage as per their university norms and the same may be verified during document verification.
- 7) अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन की हस्ताक्षरित प्रिंट कॉपी मूल दस्तावेजों के साथ डील, देहरादून में कार्यभार ग्रहण करते समय अपने साथ लाएं।
Candidates are required to bring a signed printout of the application along with the originals of the documents submitted online at the time of joining at DEAL, Dehradun.
- 8) अंतिम तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
Online Application after the last date would not be accepted. Incomplete or partially filled application forms would not be accepted.
- 9) वे अभ्यर्थी जो पहले से ही शिक्षुता प्रशिक्षण ले चुके हैं अथवा वर्तमान में किसी संस्थान के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण ले रहे हैं, वे अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
Candidates who have already undergone apprenticeship training or at present undergoing apprenticeship training under any organisation are not eligible to apply.

5. चिकित्सीय स्वस्थता Medical Fitness:

अभ्यर्थी का स्वास्थ्य संतोषजनक होना चाहिए। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय किसी सरकारी अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र मानक फॉर्मेट में प्रस्तुत करना होगा। ई.एस.आई.सी. अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 एवं प्रशिक्षु नियमावली 1992 यथा संशोधित में निहित स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।

The candidates should possess satisfactory health. Candidates finally selected will have to produce Fitness Certificate as per standard format during joining issued by authorised Medical Officer of any Government Hospital. Certificate issued by ESIC hospitals will not be accepted. Final selection of the candidate depends upon his/her fulfilling health standards as prescribed in Apprentice Act, 1961 and Apprentice Rules 1992 as amended from time to time.

6. चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासनिक औपचारिकता हेतु चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।

As administrative formality, selected candidates have to get their character & antecedents verified before the commencement of training.

7. शिक्षुता प्रशिक्षु (Apprenticeship Trainee) को प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत डी.आर.डी.ओ (DRDO) अथवा इस प्रयोगशाला में नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है एवं अभ्यर्थी इसके लिए कभी भी दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

There is no provision for appointment of the Apprenticeship Trainee in DRDO or in this Laboratory after the completion of training and candidate cannot claim for the same.



निदेशक, डील, देहरादून
Director, DEAL, Dehradun

DAVP 10301/11/0108/2122